

बिहार स्टेट माइनोरिटीज फाइनैन्सियल कारपोरेशन लि० पटना

(अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार का एक उपक्रम)

34, हार्डिंग रोड, (अली इमाम पथ) पटना-800001 Ph: 0612-2204975) Fax : 0612-2215994

(Email=minocorpatna@gmail.com. website:www.bsmfc.org)

संख्या: 1219..... बी० एस० एम० एफ० सी०, /

पटना

दिनांक: 07/04/13

स्वीकृत्यादेश

राज्य सम्पोषित मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजनान्तर्गत चयन समिति से दिनांक 22.06.2013 एवं 09.07.2013 को नालंदा में नालंदा जिला के चयनित अल्पसंख्यकों के द्वारा समर्पित त्रुटिहीन कागजात के आधार पर कुल 04 लाभुकों को उनके नाम के सामने अंकित ट्रेड में 5 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज दर पर दर्शाये गए ऋण राशि की स्वीकृति दी जाती है। स्वीकृत ऋण राशि में से 0.5% प्रोसेसिंग चार्ज के रूप में कटौती करने के पश्चात नीचे शुद्ध भुगतये के स्तम्भ में दर्शाये गये राशि सम्बन्धित लाभुकों को भुगतान करने की स्वीकृति दी जाती है—

Sl. No	Appl_Name	Bank A/c No. of Applicant	Trade	Sanctioned Loan Amount	0.5% Processing Charge	Net Payable Amount
1.	Md. Nabab Azam, S/o Abdul Salam, Imadpur, Bihar Sharif, Nalanda	A/c No. - 21330110032633	Readymade Wholesale	100000.00	500.00	99500.00
2.	Md. Riyaz Quraishi, S/o Md. Azad Quraishi, Imadpur, Bihar Sharif, Nalanda	A/c No. - 0780104000031888	Mobile Sales & Service	100000.00	500.00	99500.00
3.	Md. Manjur Alam, S/o Late Abdul Mannan, Saluganj, Bihar Sharif, Nalanda	A/c No. -0140101123478	Insecticide Shop	100000.00	500.00	99500.00
4.	Md. Sohrab Alam, S/o Md. Aftab Alam, Pirbigha Sharif, Ekangarsarai, Nalanda	A/c No. -30771848799	Cyber Café	100000.00	500.00	99500.00
				4,00,000.00	2000.00	3,98,000.00

जिन आवेदक/लाभार्थी के जाँच पत्रक/अभिलेख पर वाञ्छित कागजात प्राप्त करने का उल्लेख है, वे सभी कागजात प्राप्त करने के बाद ही प्रभारी द्वारा चेक हस्तगत कराया जाएगा। यह चेक जिला अल्पसंख्यक कल्याण प्रदाधिकारी, नालंदा के कार्यालय में उनकी उपस्थिति में वितरित कराया जायेगा।

२९

प्रबंध निदेशक
काशी

[Handwritten Signature]

लेखा शाखा/प्रमोडलीय कार्यालय प्रभारी को सूचनाएँ एवं अनुपालनाएँ भेजता।

प्रतिनिधि: जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, नालन्दा/सभी अणुधरकों/अणु शाखा/अणु शाखा(कम्प्यूटर सेल)।

आपक:- 1219

दिनांक :- 07/05/11

प्रबंध निदेशक
काशी

[Handwritten Signature]

उक्त स्वीकृत अणु को अणुधरक द्वारा ब्याज सहित 20 सामान नैमासिक किस्तों अर्थात 5 वर्षों में वापस किया जाना है। प्रमोडलीय कार्यालय के प्रभारी द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा। कर लिया जाना है तथा अणु राशि से सुविधा की गयी परिसम्पत्तियाँ अथवा क्रय की गयी सामग्रियों की शैतिक जाँच कर स्वीकृत अणु राशि से वॉलेंट डेड में लाभांशों द्वारा परिसम्पत्तियाँ/सामग्रियों का क्रय 30 दिनों के अन्दर में निश्चित रूप से